भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

29.07.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1652 का उत्तर

रेल सेवक (पास) नियम, 1986

1652. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल सेवक (पास) नियम, 1986 के उस सटीक प्रावधान का ब्यौरा क्या है जो रेलवे अधिकारियों को सरकारी ड्यूटी के दौरान लक्जरी रेलगाड़ियों में अपने परिवार के साथ यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है; और

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों को लक्जरी रेलगाड़ियों में परिवार के साथ यात्रा करने में सक्षम बनाने के लिए रेल सेवक (पास) नियम, 1986 में संशोधन बाद में लागू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): रेलवे सेवक (पास) नियम, 1986 के अनुसार रेल अधिकारियों को अपने परिवार के साथ भारतीय रेल की गाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति है, जिसमें राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, हमसफर, गतिमान, वंदे भारत आदि जैसी रेलगाड़ियां शामिल हैं।

इसके अलावा, लग्ज़री/पर्यटक रेलगाड़ियां जिसे राज्य पर्यटन विकास निगमों और आईआरसीटीसी द्वारा परिचालित किया जा रहा है, के संबंध में रेलवे सेवक (पास) नियम, 1986 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। रेलवे सेवक (पास) नियम, 1986 https://indianrailways.gov.in. की साइट पर उपलब्ध है।
